न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0

विविध अपील संख्या 23/2025

अपीलांट –

हेमी देवी पत्नी आसुराम जाति मेगवाल निवासी राईको की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –

मानाराम पुत्र आसुराम जाति मेगवाल निवासी राईको की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर

विविध अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर बमुकदमा 02/2024 दिनांक 28.02.2025

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.06.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं 80 वर्ष की वृद्ध अनपढ़ एवं बुजुर्ग महिला हूँ। प्रार्थीनी के पति आसुराम का देहान्त हो चुका है, प्रार्थीनी अपने पति के द्वारा बनाये गये मकान मे ही निवास करती रही तथा पति के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काबिज रही। विप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीनी के मकान पर ताला लगाकर बंद कर देने से प्रार्थीनी को अन्दर जाना बंद हो गया है। इस कारण उक्त मकान का कब्जा प्रार्थीनी को दिलाये जाने एवं विप्रार्थी से 30,000/–रूपये दिये का आदेश फरमावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2025 द्वारा प्रार्थीनी के तीन पुत्र होने से दोनो पुत्र बाबुलाल एवं घमाराम से उनकी माता हेमी देवी पत्नी आसुराम के बैंक खाते में 5000–5000 (पांच–पांच हजार)

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हर माह जमा कराने एवं ज्येष्ठ पुत्र मानाराम के साथ प्रार्थीनी के रहने एवं सम्पूर्ण खर्चा मय दवा वगैरा से लेकर घरेलु समस्त खर्चा मानाराम द्वारा वहन करने हेतु पांबद किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीनी द्वारा यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.02.2025 को प्रस्तुत की गई है साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए है।

2. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

3. अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकरण द्वारा एक पक्षीय आदेश प्रार्थीनी को बिना सुने व प्रार्थीनी की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसके कारण एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं हुई। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2024 को उतरदाता से 5,000/–रूपये प्रतिमाह अंतरित भरण पोषण का आदेश पारित करने बाद भी राशि नहीं मिलने पर प्रकरण की जानकारी ली तब सर्वप्रथम उक्त आदेश की नकल दिनांक 14.05.2025 को प्राप्त हुई। इस पर अपीलांट द्वारा जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की है। अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश किये गए है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलांट को 30,000 रूपये मासिक भरण–पोषण राशि रेस्पोडेंट से दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

4. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2025 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है। अधिनस्थ न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा प्रार्थीनी को 5000–5000 (पांच–पांच हजार) रूपये प्रतिमाह अंतरित भरण पोषण का आदेश पारित किया गया लेकिन विप्रार्थी ने आज दिन तक भुगतान नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश करने से पूर्व प्रार्थीनी को सुना नहीं गया। प्रार्थीनी को बिना सुने ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उतरदाता के साथ रहने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एवं विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी हेमीदेवी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडमेर के समक्ष पेश किया गया जो कि प्रार्थीनी हेमीदेवी द्वारा अपने केवल एक पुत्र मानाराम के खिलाफ भरण–पोषण के लिए किया गया। चूंकि हेमीदेवी के कुल तीन पुत्र है परंतु हेमीदेवी द्वारा अपने पुत्र मानाराम के विरूद्ध गलत इरादे के साथ यह वाद प्रस्तुत किया गया, जबकि भरण–पोषण वास्ते तीनों पुत्र बराबर के दायित्व का निर्वहन किया जाना था, परंतु केवल एक ही पुत्र के खिलाफ भरण–पोषण का वाद प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा तीनों पुत्रों के खिलाफ भरण–पोषण का आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधिनुसार है। अतः प्रार्थीनी की अपील खारिज फरमाई जावें।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2025 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी को 5000–5000 (पांच–पांच हजार) रूपये प्रतिमाह अंतरित भरण पोषण का आदेश पारित किया गया लेकिन विप्रार्थी ने आज दिन तक भुगतान नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश करने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से पूर्व प्रार्थीनी को सुना नहीं गया। प्रार्थीनी को बिना सुने ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उतरदाता के साथ रहने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एवं विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी हेमीदेवी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडमेर के समक्ष पेश किया गया जो कि प्रार्थीनी हेमीदेवी द्वारा अपने केवल एक पुत्र मानाराम के खिलाफ भरण–पोषण के लिए किया गया। चूंकि हेमीदेवी के कुल तीन पुत्र है परंतु हेमीदेवी द्वारा अपने पुत्र मानाराम के विरूद्ध गलत इरादे के साथ यह वाद प्रस्तुत किया गया, जबकि भरण–पोषण वास्ते तीनों पुत्र बराबर के दायित्व का निर्वहन किया जाना था, परंतु केवल एक ही पुत्र के खिलाफ भरण–पोषण का वाद प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा तीनों पुत्रों के खिलाफ भरण–पोषण का आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधिनुसार है। अतः प्रार्थीनी की अपील खारिज फरमाई जावें। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 में प्रार्थीनी के तीन पुत्रों होने से दो पुत्र बाबुलाल एवं घमाराम से उनकी माता हेमी देवी पत्नी आसुराम को उनके भरण–पोषण हेतु दोनो पुत्र बाबुलाल एवं घमाराम से उनकी माता हेमी देवी पत्नी आसुराम के बैंक खाते में 5000–5000 (पांच–पांच हजार) हर माह जमा कराने एवं ज्येष्ठ पुत्र मानाराम के साथ प्रार्थीनी के रहने एवं सम्पूर्ण खर्चा मय दवा वगैरा से लेकर घरेलु समस्त खर्चा मानाराम द्वारा वहन करने हेतु पांबद किया गया है। उक्त आदेश में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा धारा 16 माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रार्थीनी के दो पुत्रों को हर माह 10,000/– भरण–पोषण जो कि धारा 9 (2) के अन्तर्गत अधिकतम है इसके साथ ही एक पुत्र मानाराम को सम्पुर्ण खर्चा मय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दवा दिये जाने का भी आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर